राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

यू.ओ. नोट

विषय : विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए विजय बोचल्या की आई.डी. से छात्रवृत्ति आवेदनों में की गई अनियमितता संबंधी प्रकरण में पोर्टल पर होल्ड की गई 46 शिक्षण संस्थानों में से 12 शिक्षण संस्थानों को **अनहोल्ड** करने बाबत्।

प्रसंग : विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F.9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBARPRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipur** दिनांक 20.05.2025 के क्रम में।

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya** से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F.9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBARPRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipur दिनांक 20.05.2025** की पालना में 46 शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत निम्नानुसार 12 शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर निम्न शर्तो पर **अनहोल्ड** किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. GOVT. GAJRARAJA MEDICAL COLLEGE, JABALPUR, M.P.
2. ARJUN COLLEGE, SHRAWANPURA, KUCHAMANCITY, NAGAUR
3. GLOBAL PHARMACY COLLEGE, NAGAUR
4. GOVERNMENT GIRLS COLLEGE, SAMBHARLAKE, JAIPUR
5. SHAHEED BHAGAT SINGH MAHILA B.ED. COLLEGE, JAIPUR
6. LBS P.G. COLLEGE, TILAK NAGAR, JAIPUR
7. RAJ PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000163) SIKAR
8. GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE KHETRI (JHUNJHUNU)
9. SHEKHAWATI NURSING SCHOOL JHUNJHUNU
10. L.B.S. GOVT. P.G. COLLEGE KOTPUTLI
11. RASHTRIYA MAHILA MAHAVIDYLAY, DHANOTA, JAIPUR
12. SHRI NARAYAN MAHAVIDYALAYA, KUCHAMANCITY, NAGAUR

(1) उक्त प्रकरण से जुड़े सभी विद्यार्थियों के आवेदनों की साइबर सिक्योरिटी ऑडिट DOIT&C से करवााई जायेगी जिसमें आवेदक, ई–मित्र, शिक्षण संस्थान एवं जिलाधिकारी के आई.पी. एड्रेस की जांच भी शामिल होगी। आई.पी. एड्रेस के साथ–साथ प्रक्रिया संबंधी विस्तृत विश्लेषण करते हुए विद्यार्थी, संस्था एवं जिलाधिकारी के स्तर पर हुई अनियमितताओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उक्त शिक्षण संस्थाओं के सभी लंबित आवेदन शिक्षण संस्थान के स्तर पर लंबित किये जायेंगे (यदि आवेदन शिक्षण संस्थान के स्तर से अग्रेषित कर दिये गये हैं)। शिक्षण संस्थान समस्त आवेदनों का पुनः परीक्षण करेंगे। शिक्षण संस्थान प्रत्येक आवेदन के लिए समस्त संबधित दस्तावेजों सहित पृथक–पृथक रिपोर्ट मय शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में पोर्टल पर अपलोड करने के साथ–साथ भौतिक रूप से संबंधित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगें। दस्तावेज अपलोड करने हेतु इन शिक्षण संस्थानों को पोर्टल पर पृथक से सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि जिलाधिकारी अथवा निदेशालय स्तर पर random जांच के दौरान शिक्षण संस्थान के स्तर पर कोई अनियमितता प्रकट होती है तो संस्थान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा एवं उसके समस्त लंबित आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naseem Khan
Designation : Additional Director
Date: 2026.06.19 16:35:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22940390
M e-Sign

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

(3) उक्त शिक्षण संस्थानों के लंबित एवं नवीन प्राप्त आवेदनों का पेमेन्ट करने का निर्णय DOIT&C से तथा जिलाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्ति के बाद लिया जायेगा। तब तक उक्त शिक्षण संस्थान पेमेन्ट होल्ड पर रहेंगें।
(4) विद्यार्थी हित में उक्त शिक्षण संस्थानों को सत्र 2025-26 के आवेदन पत्र आमन्त्रित करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर ओपन किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त 12 शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्त शर्तो की पालना करते हुए अनहोल्ड किया जाना सुनिश्चित करें।

(नसीम खान)
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)

क्रमांकः F9(4)Sch./DLOinsp report/46 instt/2025-08028-8226450
दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षरित

संयुक्त निदेशक (आई.टी.)
मुख्यावास

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
(1) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
(2) निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(3) विभागीय जिलाधिकारी .... (समस्त) को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naseem Khan
Designation : Additional Director
Date: 2026.06.19 16:35:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22940390
M e-Sign